



केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
 Tel.: 011-2695168, 8860748880
 Email- mpquota@kvs.gov.in
 Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 19.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri G.V.L. Narasimha Rao** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 885 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	AVIGHNA BHATT	SHAIENDRA RAI, MOB- 9889485472	1	GOMTI NAGAR, LUCKNOW
2	NITIN TRIPATHI	RAJNEESH TRIPATHI, MOB- 8887552665, 9559592117	8	BHU VARANASI
3	VIRAJ BARIA	SAGAR BARIA, MOB- 9873300800	5	NO. 1 AFS HINDON
4	GARIMA KUSHWAHA	SANJEEV KUSHWAHA, MOB- 9717349671	7	KAMLA NEHRU NAGAR, GHAZIABAD
5	DAKSH TOMAR	ABHISHEK KUMAR, MOB- 9719738221	1	HATHRAS
6	SHANTANU TOMAR	ABHISHEK KUMAR, MOB- 9719738221	4	HATHRAS
7	JAHNAVI	AMRENDRA KUMAR, MOB- 7619005587	5	BHU VARANASI
8	AYUSHI TIWARI	V.N. TIWARI, MOB- 8840403132	4	FAIZABAD CANTT
9	ADYA	SHESHMANI SHUKLA, MOB- 9675899687, 8076440686	7	NO. 1 AFS HINDON
10	ARADHYA	SHESHMANI SHUKLA, MOB- 9675899687, 8076440686	2	NO. 1 AFS HINDON

पिया ठाकुर

कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

प. या. ठाकुर
28/8/20
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri G.V.L. Narasimha Rao माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, AGRA, LUCKNOW AND VARANASI संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

✓